सं.-एम-11015/1130/12017 एफडी
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-110001.
दिनांक : 24th मार्च, 2021

सेवा में,

प्रधान सचिव/ सचिव
पंचायती राज विभाग
एफएफसी राज्य

विषय:- चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदानों का वित्त वर्ष 2020-21 के परे उपयोग।

महोदया/महोदय,

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को कोविड महामारी के कारण ग्राम पंचायतों के सामने आ रही समस्याओं के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे चौदहवें वित्त आयोग सीएफसी अनुदानों का उपयोग करने की अनुमति के संबंध में राज्यों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं।

2. इस मामले को तदनुसार वित्त मंत्रालय के पास उठाया गया, और अब ग्राम पंचायतों द्वारा एफएफसी अनुदानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे और 31-03-2022 तक एक विशेष एकमुश्त व्यवस्था के रूप में खर्च करने के लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की सहमति प्राप्त की गई है। तथापि, ग्राम पंचायतों को एफएफसी अनुदान की अव्ययित राशि का उपयोग केवल ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) में शामिल कार्यों पर और एमओएफ द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप करना चाहिए। इन प्रावधानों के बारे में आप अपने राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक जानकारी पहुंचाएं।

भवदीय,

(तारा चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ: संयुक्त सचिव (शासन प्रभाग), एमओपीआर

******